बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
संकल्प

श्री कौशल किशोर रश्मि, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, सहरसा सम्प्रति श्रम अधीक्षक, सुपौल के विरूद्ध श्रमायुक्त, बिहार के पत्रांक– 3708, दिनांक– 12.07.2017 द्वारा प्रपत्र 'क' गठित करते हुए यह आरोप प्रतिवेदित किया गया कि सहरसा जिला में Child Labour Tracking System (CLTS) में दर्ज 09 बच्चों में से दिनांक– 30.06.2017 तक एक भी बच्चे के नाम Fixed Deposit नहीं कराया गया। यह कृत्य कर्तव्यहीनता, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना तथा स्वेच्छाचारिता का द्योतक है। श्रमायुक्त, बिहार के उक्त पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक– 1973, दिनांक– 03.08.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियत– 19 के तहत श्री रश्मि से स्पष्टीकरण की माँग की गई।

2. श्री कौशल किशोर रश्मि का स्पष्टीकरण श्रम अधीक्षक कार्यालय, सुपौल के पत्रांक– 217, दिनांक– 11.08.2017 द्वारा विभाग को प्राप्त हुआ। श्री रश्मि ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि वे श्रम अधीक्षक, सुपौल के पद पर पदस्थापित हैं एवं दिनांक– 07.03.2017 से दिनांक– 07.07.2017 तक श्रम अधीक्षक सहरसा के अतिरिक्त प्रभार में रहे। दिनांक– 07.03.2017 को उनके प्रभार ग्रहण करने के बाद ही CLTS में दर्ज बाल श्रमिकों के नाम FD कराने की आरम्भिक कार्रवाई प्रारम्भ हुई। दिनांक– 07.04.2017 को CLTS में दर्ज में 01 बाल श्रमिक के सत्यापन के उपरांत राशि अभिप्राप्ति हेतु अधियाचना संबंधी प्रस्ताव उनके द्वारा संचिका में उपस्थापित की गई जिसे जिला पदाधिकारी द्वारा दिनांक– 15.04.2017 को अनुमोदित किया गया। दिनांक– 24.04.2017 को CLTS में दर्ज शेष 08 बाल श्रमिकों के सत्यापन के उपरांत राशि अभिप्राप्ति हेतु अधियाचना संबंधी प्रस्ताव उनके द्वारा संचिका में उपस्थापित की गई जिसे जिला पदाधिकारी द्वारा अंतिम रूप से दिनांक– 15.05.2017 को अनुमोदित किया गया। श्री रश्मि ने अपने स्पष्टीकरण में यह उल्लेख किया है कि जिला पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित 09 बच्चों में से 01 बच्चे के लिए आवंटन श्रमायुक्त, बिहार के पत्रांक– 2710, दिनांक– 05.05.2017 तथा शेष 08 बच्चों के लिए आवंटन श्रमायुक्त, बिहार के पत्रांक 3179, दिनांक– 08.06.2017 द्वारा उनके कार्यालय को क्रमशः दिनांक– 20.05.2017 एवं दिनांक– 15.06.2017 को प्राप्त हुआ। श्री रश्मि ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि श्रमायुक्त, बिहार के पत्रांक– 3076, दिनांक– 01.06.2017 द्वारा CLTS में दर्ज दिनांक– 01.04.2014 के पूर्व विमुक्त बच्चों को अपात्र मानते हुए CLTS में दर्ज पात्र बच्चों को ही राशि उपलब्ध कराने का उन्हे निदेश प्राप्त हुआ जिससे पूर्व अधियाचित 09 बच्चों में से 04 बच्चे अपात्र पाये गये। हालांकि श्रमायुक्त, बिहार के उक्त पत्र में ऐसा कोई ज़िक्र नहीं हैं। श्री रश्मि ने अपने स्पष्टीकरण में यह भी उल्लेख किया है कि दिनांक– 21.06.2017 को श्रम अधीक्षकों की समीक्षा बैठक में कतिपय श्रम अधीक्षकों द्वारा मामला उठाने पर श्रमायुक्त, बिहार द्वारा CLTS में दर्ज दिनांक– 01.04.2014 के पूर्व विमुक्त बाल श्रमिकों को राशि उपलब्ध कराने का मौखिक निदेश दिया गया। दिनांक– 21.06.2017 की समीक्षा बैठक में दिये गये निदेश एवं श्रमायुक्त, बिहार के पत्रांक– 3076, दिनांक– 01.06.2017 के आलोक में श्री रश्मि द्वारा विमुक्त बाल श्रमिकों के नाम FD हेतु राशि अंतरित करने संबंधित प्रस्ताव जिला पदाधिकारी, सहरसा को वरीय पदाधिकारी के माध्यम से दिनांक– 27.06.2017 को उपस्थापित किया गया जिसमे 05 पात्र बाल श्रमिकों के नाम FD हेतु राशि अंतरित करने का प्रस्ताव जिला पदाधिकारी द्वारा दिनांक– 08.07.2017 को अनुमोदित किया गया। साथ ही श्री रश्मि ने अपने स्पष्टीकरण में यह भी उल्लेख किया है कि अद्यतन तिथि तक सहरसा जिले में CLTS में दर्ज वर्णित 09 बाल श्रमिकों में से सभी बाल श्रमिकों के नाम FD कराया जा चुका है।

3. श्री कौशल किशोर रश्मि से प्राप्त स्पष्टीकरण पर श्रमायुक्त, बिहार का मंतव्य प्राप्त किया गया। श्रमायुक्त, बिहार ने अपने मंतव्य में यह अंकित किया है कि श्री रंजन द्वारा 09 अधियाचित

बाल श्रमिकों के मामले में यह माना जाएगा कि श्री रंजन ने भौतिक सत्यापन एवं जाँच पड़ताल करके ही सुयोग्य एवं पात्र बाल श्रमिकों की सूची के नाम के आधार पर राशि की माँग की होगी, परन्तु बाद में प्राप्त सहायता राशि का ससमय वितरण नहीं किया गया, न ही ऐसे अपात्र मामलों को CLTS में Online अस्वीकृत कर Update किया गया। क्षेत्रीय पदाधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक, विभिन्न विभागीय पत्रों द्वारा दिये गए लगातार निदेश तथा श्रमायुक्त, बिहार द्वारा Whats app/मोबाईल से प्रतिदिन संदेश भेजने के बाद भी श्री रंजन द्वारा न ही बाल श्रमिकों का भौतिक सत्यापन किया गया एवं न ही CLTS में दर्ज बाल श्रमिकों का ससमय खाता खुलवाया गया। श्रमायुक्त, बिहार ने अपने मंतव्य में यह भी प्रतिवेदित किया है कि दिनांक– 29.05.2017 की बैठक में प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया था कि जिन विमुक्त बाल श्रमिकों हेतु राशि प्रेषित की गयी है यदि उनमें से कुछ बाल श्रमिक अपात्र/सहायता राशि प्राप्ति के निर्धारित मानक में नही आते हैं तो Waiting List में जो पात्र बाल श्रमिक हैं, उन्हे यह सहायता राशि उपलब्ध करा दी जाय। इस संबंध के श्रमायुक्त, बिहार द्वारा विभागीय पत्रांक– 3076, दिनांक– 01.06.2017 द्वारा श्री रश्मि को भी निदेशित किया गया। सहरसा जिला में CLTS में दर्ज कुल 44 बाल श्रमिकों के रहने के बावजूद दिनांक– 30.06.2017 तक अन्य पात्र बाल श्रमिकों को सहायता राशि उपलब्ध कराने में श्री रश्मि द्वारा व्यक्तिगत रूचि लेकर कोई प्रगति नहीं लाया गया।

4. श्री कौशल किशोर रश्मि के स्पष्टीकरण की श्रमायुक्त, बिहार के मंतव्य के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत यह पाया गया कि सहरसा जिला में CLTS में दर्ज 09 बच्चों के लिए राशि विमुक्त उन्हीं की मांग पर की गयी थी, परन्तु उन्होंने एक भी बच्चे का FD नहीं कराया। सहरसा जिला में 30 मई, 2017 तक कुल 44 बच्चों का नाम CLTS में दर्ज था। सभी श्रम अधीक्षक को दिनांक– 29.05.2017 की बैठक में यह निदेश दिया गया था कि यदि पूर्व में भेजे गये मांग पत्र के अनुसार सभी बच्चे पात्र नहीं निकलते हैं तो शेष बच्चों में ही जो भी पात्र हैं उन्हें राशि दे दी जाये एवं मुख्यालय को सूचित कर दिया जाय। परन्तु इसके आलोक में उनके द्वारा एक भी बच्चे का FD नहीं कराया गया है। इस प्रकार श्री कौशल किशोर रश्मि के द्वारा इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लागू करने में बरती गयी लापरवाही को सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रमाणित पाया गया एवं श्री कौशल किशोर रश्मि के विरूद्ध एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने की सजा देने का निर्णय लिया गया। साथ ही श्री कौशल किशोर रश्मि को सचेत करने का भी निर्णय लिया गया कि मार्च, 2018 तक के विभागीय लक्ष्य के प्राप्ति में शिथिलता होने पर वृहत दण्ड हेतु कार्रवाई की जाएगी।

5. अतएव श्री कौशल किशोर रश्मि, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, सहरसा सम्प्रति श्रम अधीक्षक, सुपौल के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 यथा संशोधित नियमावली, 2007 के नियम 14 (v) के तहत लघु दण्ड स्वरूप एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है। साथ ही सचेत किया जाता है कि मार्च, 2018 तक विभागीय लक्ष्य की प्राप्ति में शिथिलता होने पर वृहत दण्ड की कार्रवाई की जाएगी।

6. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री कौशल किशोर रश्मि, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, सहरसा सम्प्रति श्रम अधीक्षक, सुपौल को निबंधित डाक से उपलब्ध करायें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(अमरेन्द्र नारायण मिश्र)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 6 / श्रम वि० आ०(02) 23 / 2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, ई. बजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियॉ विभाग को उपलब्ध कराये।

ह0 / –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 6 / श्रम वि० आ०(02) 23 / 2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 6 / श्रम वि० आ०(02) 23 / 2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, सहरसा / जिला पदाधिकारी, सुपौल / कोषागार पदाधिकारी, सहरसा / कोषागार पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 6 / श्रम वि० आ०(02) 23 / 2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– श्री कौशल किशोर रश्मि, तत्कालीन श्रम अधीक्षक, सहरसा सम्प्रति श्रम अधीक्षक, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 6 / श्रम वि० आ०(02) 23 / 2017 श्र०सं०– 3083 पटना, दिनांक– 14/11/2017
प्रतिलिपि– श्रमायुक्त, बिहार, पटना / विशेष सचिव / अपर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–1,2 एवं गोपनीय चारित्री / सभी उप सचिव / सभी विशेष कार्य पदाधिकारी / लोक सूचना पदाधिकारी / सभी प्रशाखा पदाधिकारी (सरकार पक्ष) / आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/11/17

सरकार के उप सचिव